



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या: ए.ए.आई./विज/आरटीआई/503/2025/986-987

दिनांक 28.08.2025

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कृपया आपके द्वारा जमा की गई ऑनलाइन आरटीआई आवेदन AAOIN/R/E/25/01235/1 दिनांक 29.07.2025 का संदर्भ लें। उपरोक्त आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी एवं उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	Provide Submission of compliance reports By the Chief Vigilance Officer (CVO), AAI to CVC CENTRAL VIGILANCE COMMISSION after implementation, for past 6 years.	आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(e) के अंतर्गत उपलब्ध नहीं की जा सकती। Information sought cannot be disclosed under Section 8(1)(e) of RTI Act, 2005.

2. यह आरटीआई आवेदन, RTI नोडल अधिकारी ने RTI-MIS पोर्टल के माध्यम से दिनांक 29.07.2025 को अधोहस्ताक्षरी एवं श्री जेता सिन्हा, महाप्रबंधक(मा.सं.)/के.ज.सू.अ., स्थापना अनुभाग, निगमित मुख्यालय को अग्रेषित किया था।

3. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तिथि से 30 दिन के भीतर श्री राजगुरु जैन, महाप्रबंधक(सतर्कता), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली, 110 003 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,
(सचिन कुमार मित्तल)

उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

आवश्यक कार्यवाही हेतु- श्री जेता सिन्हा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)/ केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (स्थापना अनुभाग) - क्रम संख्या A,B,C,D,E,G,H के लिए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

O/C Issued
28/08/25